न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 140 / 2022

1 रामनिवास पुत्र लादूराम जाति माली निवासी बाण्डया नाला तन गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 सीताराम पुत्र गीगाराम जाति माली निवासी बाण्डया नाला तन गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी
वाद रामनिवास बनाम तहसीलदार उदयपुरवाटी आदि
दावा घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर
36 / 2019

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 6.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 36/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट (वादी) ने अपने पिता स्व. लादूराम को सन् 1962 में हुई अलॉटमेंट भूमि, जिसका कब्जा काश्त पीढ़ियो से चली आ रही भूमि से अपीलांट को जो कि नये खसरा नम्बर 2050 ग्राम गुढ़ागौड़जी की भूमि रकबा 2.02 हैक्टर से बेदखल न करे तथा रेस्पो. नं. 1 उक्त भूमि को दीगर किसी व्यक्ति ने नाम से दर्ज न करे तथा न ही कब्जा करवाये की रिलीफ के आधार पर दावा पेश किया गया था। जिसमें दावा के दौरान रेस्पो. नं. 1 बावजूद तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 01.07.2019 को इकतरफा कार्यवाही की दी थी और प्रकरण में रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने बिना किसी आधार के ही आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत विचारण न्यायालय के पक्षकार बनाकर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन पत्र पेश किया जिसको न्यायालय में गहन अध्ययन किये बिना ही रेस्पो. नं. 2 के आवेदन पर अपीलांट (वादी) का दावा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमिधारी रेस्पोडेन्ट नं. 1 था जिसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही थी और रेस्पोडेन्ट नं. 2 एक अजनबी व्यक्ति द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन पत्र पेश किया जिसको आवेदन पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। अगर आपत्ति होती तो रेस्पोडेन्ट नं. 1 भी कानूनी प्रावधानों के तहत ही आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पेश कर सकता था किंतु रेस्पोडेन्ट नं. 2 न तो वादग्रस्त भूमि का टिनेन्ट है और न ही उस भूमि पर कोई हक अधिकार ही रखता है तो ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र मेन्टेनेबल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ही नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट (वादी) को 80 वर्षों से इसके पिता व बाद में इनका कब्जा–काश्त चला आ रहा है और भूमि को अलांटमेंट के द्वारा स्व. लादू का कब्जा काश्त भी साबित रहा तथा सक्षम कमेटी ने सन् 1962 में आवंटन भी किया परन्तु किन्ही कारणों से खातेदारी दर्ज होने से वंचित रह गये परन्तु मौके पर काश्त करते रहे जिनकी बाबत खसरा परिवर्तन जमाबंदियां भी बनी थी और तहसीलदार ने 91 एलआर एक्ट के तहत नोटिस देकर भी पेनेल्टी वसूल की थी इसलिए दावा स्थायी निषेधाज्ञा का मेन्टेनेबल था। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट का दावा कानूनी प्रावधानों द्वारा पेश करने के लिए कोई बाधा नहीं थी क्योंकि कब्जे का आधार मूलरूप से देखा जाता है। रेस्पोडेन्ट नं. 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बिना अधिकार तो प्रस्तुत था ही साथ में आवेदन पत्र जवाबदावा एवं तनकीयात कायम होने के बाद यह दर्शित करता हो कि क्यावाद प्रत्यक्षतः विधि द्वारा वर्जित है किंतु विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही दावा खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 2050 रकबा 4.66 हैक्टेर प्रथम सैटलमेंट में वादी के पिता लादूराम के नाम सन् 1962 में 15 बीघा पुख्ता भूमि अलाट कि गई होना स्वीकार करते हुए दावा किया है मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 2050 रकबा 4.66 हैक्टेर गत खसरा नम्बर 2685 तथा 2685 के पुराने खसरा नम्बर 1796/2 ग्राम गुढागौड़जी है पत्रावली पर मौजूदा स्थित में खसरा नम्बर पुराना 1796/2 में वादी के पिता लादूराम के नाम से अलॉटमेन्ट आदेश नहीं है। बिना खातेदारी, टाईटल के बिना स्थायी निषेधाज्ञा विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2050 ग्राम गुढ़ागौड़जी वादी की खातेदारी एवं टाईटल की नहीं है और ना ही वादी के पिता लादूराम की खातेदारी एवं टाईटल की थी। वादी के पिता लादूराम पुत्र खेता माली को पुराना खसरा नम्बर 1798 में 15 बीघा भूमि अलॉटमेंट कमेटी द्वारा दिनांक 25.05.1962 को अलाट की गई थी इसलिए भूमि खसरा नम्बर पुराना 1796/2 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

2050 से ना तो वादी का और ना ही वादी के पिता लादूराम का कभी कोई सबंध एवं तालुक नहीं रहा है तथा ना ही कभी कब्जा काश्त रहा है। भूमि खसरा नम्बर 1798 में लादूराम पुत्र खेताराम माली निवासी पौख के नाम दिनांक 25.05.1962 को अलाटमेंट होने के पश्चात 15 बीघा भूमि अलग से खसरा नम्बर 1798/2 रकबा 15 बीघा जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2035 की जाकर राजस्व रिकार्ड कायम हुआ। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 1796/2 से वादी एवं वादी के पिता लादूराम का ना तो कब्जा काश्त था और ना ही कभी भी संबंध व सरोकार नही रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गुढ़ागौड़जी पटवार हल्का गुढ़ागौड़जी की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 2050 रकबा 4.66 हैक्टेर की खातेदारी राज. सरकार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादी उक्त भूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। उक्त भूमि सरकार की है, भूमिधारी तहसीलदार है और तहसीलदार के खिलाफ ही स्थायी व्यादेश लेना चाहता है तथा गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया गया है, जो विधि के विरूद्ध है। अतः यह वाद विधिक वर्जित होने के कारण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के **(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;** के प्रावधान के अनुसार विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम भोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर